

पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पूर्व में रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016
सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के तहत पारेषण लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के संबंध में, ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन किया है:-

क्रमांक	लाइन/उप-स्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन की लंबाई / क्षमता	अनुमानित समापन लागत या स्तरीकृत पारेषण शुल्क (यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है)	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणियाँ
1.	6 नग 220 केवी बे और 400 केवी बे के 3 नंबर के साथ-220 केवी और 400 केवी बस के विस्तार के साथ दोनों स्तरों के बीच बस सेक्शनलाइज़र व्यवस्था यानी 400 केवी नए सेक्शन और 220 केवी नए सेक्शन के तहत फतेहगढ़-III में कार्यान्वयन अनुभाग के साथ पुनश्च	400 केवी लाइन बे -3 नग। 220 केवी लाइन बे-6 नग 400 केवी बस सेक्शनलाइज़र - 1 नं। 220 केवी बस सेक्टीओअलाइज़र - 1 नं।	82.45 करोड़	विस्तृत कमीशनिंग कार्यक्रम तालिका-बी में दिया गया है	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत लागू किया जाना




2.	3 नग 3x1500, 765/400 केवी आईसीटी व के 3 नग 3x500, 400/220 केवी आईसीटी फतेहगढ़-III में	3x1500, 765/400 केवी आईसीटी 3 नग 3x500, 400/220 केवी आईसीटी	435 करोड़	जनवरी - 25	
	400 केवी बस सेक्शनलाइज़र व्यवस्था फतेहगढ़-III में कार्यान्वयन	400 केवी बस सेक्शनलाइज़र - 1 नग	17.11 करोड़	जनवरी - 25	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत लागू किया जाना

TABLE B

क्रमांक	मूलवस्तु	एससीओडी
1.	1 नग 220kV लाइन बे फतेहगढ़-III	31.10.2024
2.	1 नग 220kV लाइन बे फतेहगढ़-II	31.10.2024
3.	1 नग 220kV लाइन बे फतेहगढ़-III	30.07.2024
4.	1 नग 220kV लाइन बे फतेहगढ़-II	31.12.2024
5.	1 नग 220kV लाइन बे फतेहगढ़-III	31.03.2025
6.	1 नग 220kV लाइन बे फतेहगढ़-III	Bays not to be taken up further
7	1 नग 400kV लाइन बे फतेहगढ़-III 1 नग 400kV लाइन बे फतेहगढ़-III 1 नग 400kV लाइन बे फतेहगढ़-III	Implementation of Bays to be kept on hold till schedule confirmation to avoid mismatch

- आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में व श्री एस के मिश्रा, परियोजना प्रभारी, पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ भी किया जा सकता है या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।
- आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001 के समक्ष आपत्तियों/सुझावों की एक प्रति आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, पावरग्रिड की वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दाखिल करें।

जगह: जैसलमेर
तारीख:


एस के मिश्रा,
परियोजना प्रभारी,
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
एस.के.मिश्रा / S.K.Mishra
परियोजना प्रभारी / Project In-Charge
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
POWERGRID RAMGARH TRANSMISSION LIMITED
(100% Subsidiary of POWERGRID)